न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.)

दिनांक 17.04.2018

संख्या : 01 / 2018

अजीत सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह उर्फ मुन सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम खोटिया तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

...........प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील रामगढ शेखावाटी।
2. पटवारी पटवार हल्का ताखलसर तहसील रामगढ शेखावाटी।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन खाता अन्तर्गत धारा 136 रा.भू. अधिनियम

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमियॉ ग्राम खोटिया
तहसील रामगढ शेखावाटी के पटवार हल्का खोटिया मे अवस्थित खसरा नम्बर 307 रकबा
1.9800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.
1100 हैक्टयर **व** खसरा नम्बर 128 रकबा 1.7500 हैक्टयर खसरा नम्बर 340 रकबा 0.
7700 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 127 रकबा 8.5200 हैक्टयर तथा खेत खसरा
नम्बर(पुराना) 275 नया 433 रकबा 11.0500 हैक्टयर, खसरा नम्बर (पुराना) 276 नया 443
रकबा 6.5000 हैक्टयर, अवस्थित है। जिसमे प्रार्थी मुताबिक जमाबन्दी कब्जा काश्त है।
कृषि भुमि खसरा नम्बर 307 रकबा 1.9800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.1000
हैक्टयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.1100 हैक्टयर **व** खसरा नम्बर 128 रकबा 1.7500
हैक्टयर खसरा नम्बर 340 रकबा 0.7700 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 127 रकबा 8.5200
हैक्टयर की खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से मोहन सिंह
के स्थान पर मुनसिंह अंकित हो गया व खेत खसरा नम्बर(पुराना) 275 नया 433 रकबा
11.0500 हैक्टयर, की जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का नाम मुनसिंह उर्फ मोहन सिंह
स्थान पर अजीत सिंह पुत्र छगन सिंह गलत रूप से अंकित हो गया जबकी पुरान
जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का नाम मुन सिंह अंकित था लेकिन दोराने मिसल प्रार्थी
भाई छगन सिहं का नाम प्रार्थी का पिता मुनसिंह उर्फ मोहन सिह के स्थान पर गलत द
कर दिया व खसरा नम्बर (पुराना)276 नया 443 रकबा 6.5000 हैक्टयर, की जमाबन्दी
प्रार्थी के पिता का नाम अजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह उर्फ मुन सिंह के स्थान पर अजी
सिंह पुत्र मुनसिंह गलत रूप से अंकित हो गया । जिसमे प्रार्थी उसमे संशोधन करवाने
अधिकारी है। यह कि प्रार्थी के समस्त लोक अभिलेखो में प्रार्थी के पिता का नाम प्रार
से ही अजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह चला आ रहा है। जिस बाबत प्रार्थी ने ग्राम पंचा

उपखण्ड अधिकारी

संशोधन बाबत जरिये पंच के ग्राम पंचायत खोटिया मे प्रस्ताव रखा जिसमे से प्रार्थी के पिता का नाम संशोधन किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 की नकल संलग्न है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके ग्राम खोटिया तहसील रामगढ शेखावाटी के तन मे अवस्थित कृषि भुमि खसरा नम्बर 307 रकबा 1.9800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.1100 हैक्टयर व खसरा नम्बर 128 रकबा 1.7500 हैक्टयर खसरा नम्बर 340 रकबा 0.7700 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 127 रकबा 8.5200 हैक्टयर की खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम मुनसिंह के स्थान पर मोहनसिंह उर्फ मुनसिंह अंकित किया जावे तथा खेत खसरा नम्बर 433 रकबा 11.0500 हैक्टयर, की जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का नाम छगनसिंह के स्थान पर मुनसिंह उर्फ मोहन सिंह राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा व खसरा नम्बर 443 रकबा 6.5000 हैक्टयर, की जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का नाम अजीत सिंह पुत्र मुलसिह के स्थान पर मोहन सिंह उर्फ मुन सिंह राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने के की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार रामगढ ने रिपोर्ट मे कथन किया कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मोहन सिहं ही है। मोहनसिहं व मूनसिहं एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया, जिससे खसरा नम्बर 307, 308, 311, 128, 340, 127 में प्रार्थी के पिता का नाम मोहन सिहं के स्थान पर मूनसिहं दर्ज हो गया तथा खसरा नम्बर 433 मे अजित सिहं पुत्र छगन सिहं दर्ज है जबकि छगन सिहं प्रार्थी के भाई का नाम है तथा खसरा नम्बर 443 मे अजित सिहं पुत्र मूलसिहं दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम सही नाम मोहनसिहं है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम मूनसिहं/मूलसिहं/छगनसिहं के स्थान पर मोहनसिहं किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा सरपंच ग्राम पंचायत खोटिया के प्रमाण पत्र एवं तहसीदार रामगढ शेखावाटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है कि विवादित खसरा नम्बर 307 रकबा 1.9800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.1100 हैक्टयर व खसरा नम्बर 128 रकबा 1.7500 हैक्टयर खसरा नम्बर 340 रकबा 0.7700 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 127 रकबा 8.5200

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

वाके ग्राम खोटिया मे जरिये संशोधन अजित सिहं पुत्र मूनसिहं के स्थान पर सिहं पुत्र मोहन सिहं उर्फ मून सिहं तथा खसरा नम्बर 433 रकबा 11.05 वाके खोटिया मे जरिये संशोधन अजित सिहं पुत्र छगनसिहं के स्थान पर अजित सिहं पुत्र मोहन सिहं उर्फ मून सिहं तथा खसरा नम्बर 443 रकबा 6.500 है. मे अजित सिहं पुत्र मूल सिहं के स्थान पर अजित सिहं पुत्र मोहनसिहं उर्फ मून सिहं किया जाता है। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर